

icy to change News Readers on Door-darshan frequently and if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUM. GIRIJA VYAS): (a) Yes, Sir.

(b) No general reshuffle of News Readers or re-allocation of time-slots or removal has been effected as a result of the review.

(c) Yes, Sir. Some News Readers have submitted a representation based on the reports in a Section of the Press. The representation mainly states that it would have been better if the suggestions of the Review Committee were communicated to them privately or within the news forum and they would have willingly discussed and accepted the recommendations, where justified.

Appropriate training is envisaged to improve the performance of the news presenters.

(d) No, Sir.

दूरदर्शन पर राज्यों की राजधानियों के दूसरे चैनल

390. डा० अब्दुल अहमद : क्या सचता और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-दूरदर्शन पर दो से अधिक चैनल कब से शुरू कर दिये जायेंगे;

(ख) देश के राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन पर दो चैनल कब से प्रारंभ कर दिये जायेंगे और किन-किन राज्यों में ऐसा किया जायेगा;

(ग) संसद-समाचारों के प्रसारण समय को, जो कि पर्याप्त नहीं है न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) दूरदर्शन पर सदस्यों के विचारों को अधिक समय दिये जाने की बजाय

मंत्रियों के वक्तव्यों को अधिक समय दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि मंत्रियों के वक्तव्यों को दूरदर्शन द्वारा प्रसारित अन्य समाचारों में भी सम्मिलित किया जाता है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (क. गिरिजा व्यास) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) पृथक स्थानीय चैनल की सेवा जिसे टी०वी० के दूसरे चैनल के नाम से जाना जाता है, चार शहरों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में पहले से ही उपलब्ध है। अन्य नगरों में ऐसी सुविधा प्रदान करना आठवीं योजना को अंतिम रूप दिये जाने के बाद साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) टेलीकास्ट के लिये समय की कुल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, संसद समाचार के टेलीकास्ट का समय बढ़ाना संभव प्रतीत नहीं होता।

(घ) संसद समाचारों के आलेख अनुभवों पत्रकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं। संसद समाचारों अथवा अन्य बुलेटिनों में किसी विशेष समाचार को शामिल करना उस समाचार के महत्व पर निर्भर करता है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना में संशोधन किया जाना

391. श्री अजित जोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछले अनुभव को देखते हुए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना में कोई नया संशोधन करने का विचार रखती है ताकि अड़चनों को दूर करके योजना के प्रभावी कार्यकरण को सहज बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस योजना के वर्तमान स्वरूप में पूर्णतया संतुष्ट है; और

(घ) इस योजना के परिणामस्वरूप गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) एक चालू योजना है। इसके कार्यान्वयन की नीति को पिछले अनुभवों तथा विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर संशोधित किया जाता है। 1990-91 के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जो मुख्य सुधार किए गए हैं वे इस प्रकार हैं:—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये भौतिक लक्ष्यों को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिये लक्ष्यों को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक कर दिया गया है; शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये 3 प्रतिशत लाभ निर्धारित किए गए हैं; अनुसूचित जाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के समकक्ष लाने के लिये उनके लिये अनुसूच्य गवमिडी को 5000/- रुपये की अधिकतम सीमा के आधार पर 50 प्रतिशत कर दिया गया है; ऋण समिति को समाप्त करने तथा ऋणवद्ध रूप में नकद राशि का वितरण करने का निर्णय लिया गया है; भूमि की खरीद को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक अनुसूच्य गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है। इस योजना में आवश्यक सुधार लाने के लिये इसका निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का देश की विख्यात अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से एक समवर्ती मूल्यांकन कराया जाता है। समवर्ती मूल्यांकन के तीसरे दौर (जनवरी-

दिसम्बर, 1989) के अनुसार ग्रामिण भारतीय स्तर पर सहायता प्राप्त 28 प्रतिशत लाभार्थियों ने 6400/- रुपये की गरीबी की रेखा को पार कर लिया है।

मूल्य-नियंत्रण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत और अधिक वस्तुओं को शामिल किया जाना

392. श्री राम जेटमलानी :

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्यान्नों का पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद हाल ही में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करके इस मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुछ और आवश्यक वस्तुओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन में विन्म्व के क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) पिछले दो महीनों (मई और जून, 1991) के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक का स्तर मिला-जुला रहा है। इनमें से कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, मांग व पूर्ति में अन्तर, मौसमी कारणों तथा कुल मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि के कारण हुई कही जा सकती है।

(ख) से (घ) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता